(66)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4446–दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–9–2012 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 91/अपील/2011–12.

अब्दुल कादिर आत्मज स्व. याकूब पतरावाला
निवासी इंदिरा दर्शन, प्लॉट नं. 214
3, लोखण्डवाला अंधेरी, मुंबई
द्वारा मुख्तयारआम
मोहम्मद आमिर खान आत्मज एम.वाय.ए. खान
निवासी एच.ए.–22, एन.आर.आई. कॉलौनी
कोहेफिजा भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

रविशंकर आत्मज छोटेलाल
निवासी ग्राम सुल्तानपुर
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन .....अनावेदक

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर.एन. मालवीय अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/7/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम सुल्तानपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 476 रकबा 43.65 एकड़ पर भूमिस्वामी याकूब पतरावाला के स्थान पर मुक्ति पत्र के आधार पर अनावेदक का नामांतरण दिनांक 4–3–1979 को आदेश पारित

कर स्वीकृत किया गया । राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 8–12–2010 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने के कारण निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 4–9–2012 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि बिना पंजीकृत दस्तावेज के स्वत्व का अंतरण नहीं हो सकता है, अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा अपंजीकृत मुक्ति पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण मानते हुए अनावेदक का नामांतरण स्वीकृत करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है, और ऐसे अवैधानिक आदेश के विरूद्ध समय–सीमा लागू नहीं होती है । इस स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, और उनके आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1991 आर.एन. 290 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के आदेश के 31 वर्ष पश्चात आवेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि अत्यधिक अवधि बाह्य थी, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि 31 वर्ष आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का लगान नहीं दिया जाना एवं उन्हें आदेश की जानकारी नहीं होना विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि यदि इतनी लम्बी अवधि तक आवेदक प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि कार्य करता तब निश्चित रूप से उनके द्वारा लगान अदा किया जाता । इस आधार पर कहा गया कि आवेदक की बाद की सोच के कारण अत्यधिक अवधि बाह्य अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं

की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–3–1979 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 30–3–2010 को 30 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जाकर कि 30 वर्ष के असाधारण विलम्ब का समाधानकारक कारण आवेदक की ओर से नहीं दर्शाया गया है । ऐसी स्थिति में इतने अत्यधिक विलम्ब को क्षमा करने का कोई औचित्य नहीं है, अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई है, और इसी निष्कर्ष के साथ आयुक्त द्वारा भी द्वितीय अपील निरस्त की गई है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं । अभिलेख से परिलक्षित होता है कि दिनांक 4–3–1979 को नामांतरण पंजी पर पंजी कमांक 74 के साथ ही पंजी कमांक 75 पर भूमि का अन्तरण किया गया है । अतः प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि कलेक्टर यह जॉच करें कि क्या प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में हुए उक्त अंतरण कहीं सीलिंग अधिनियम के प्रावधानों से बचने के लिए तो नहीं किये गये हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–2012 स्थिर रखा जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर